कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून।

पत्रांकः न–9 / स्कू0भ0मा0–D-PO-358-2021 दिनांकः दिसम्बर 09, 2021

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक
दून स्कालर्स (DOON SCHOLARS)
KH. NO-304, 305 KA, 305 KHA, 306 MIN & 307
MAUZA KEDARPUR, PARAGANA, CENTRAL DOON
जनपद–देहरादून।

विषय अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) विषयक।

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की बेबसाईट पर आवेदित यूनिक नम्बर 34200011 दिनांक 30.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा KH. NO-304, 305 KA, 305 KHA, 306 MIN & 307 MAUZA KEDARPUR, PARAGANA, CENTRAL DOON जनपद देहरादून हेतु मे निर्मित शैक्षणिक भवन (DOON SCHOLARS) हेतु अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत शैक्षणिक भवन का निरीक्षण प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी / अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया एवं सस्तुति आख्या दिनाक 07.12.2021 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन का वाहन पहुँच सकता है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।
3. निरीक्षण की तिथि को भवन बेसमेन्ट, भूतल एवं अग्रेत्तर तीन तल में निर्मित है।
4. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 01 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत पानी टैंक का प्राविधान किया गया है।
5. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के पम्प हाउस में मेन पम्प (25 एच.पी.) एवं जौकी पम्प (10 एच.पी.) का प्राविधान किया गया है।
6. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के टैरिस में 10 हजार लीटर क्षमता का टैरिस टैंक का प्राविधान किया गया है।
7. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में रिंगमैन फायर हाईड्रेन्ट का प्राविधान किया गया है। प्रत्येक फायर हाईड्रेन्ट के पास क्रेडिल बाक्स में 02 अदद डिलीवरी होज पाईप मय साधारण ब्रांच पाईप का प्राविधान किया गया है।
8. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में दो स्टेयर केस के दोनों तरफ वेट राईजर का प्राविधान किया गया है, जो बेसमेन्ट से होता हुआ टॉप फ्लोर तक है। उक्त वेट राईजर से प्रत्येक तल में होजरील एवं लैण्डिग वाल्व तथा क्रेडिल बाक्स में 02 अदद डिलीवरी होजपाईप मय साधारण ब्रांच पाईप का प्राविधान किया गया है।
9. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के प्रत्येक तल में एम.सी.पी. हूटर एवं फायर अलार्म पैनल का प्राविधान किया गया है।
10. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान किया गया है।
11. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया गया है, जो कार्यशील एवं सन्तोषजनक दशा मे है।
12. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में एमसीपी हूटर का प्राविधान किया गया है।
13. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन की विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 एवं ई0एल0सी0बी0 पर आधारित है।
14. प्रश्नगत भवन में कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यन्त्र संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है।
15. प्रश्नगत भवन विस्तार / अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।
16. स्वामी / प्रबन्धक को प्रश्नगत भवन के निकास मार्गो / सैट बैक को सदैव साफ (Clear) व अवरोध रहित रखा जाए, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा। भवन के चारों तरफ छोड़े गये सैट बैक में किसी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण या अस्थाई ढांचा नहीं बनाया जायेगा।

CHAIRMAN
DOON SCHOLARS

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं उपनिदेशक (तकनीकी) उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा देहरादून महोदय के ऑनलाईन अनुमोदनोपरान्त दिनांकित 08.12.2021 के आधार पर KH. NO-304, 305 KA, 305 KHA, 306 MIN & 307 MAUZA KEDARPUR, PARAGANA, CENTRAL DOON जनपद देहरादून में निर्मित शैक्षणिक भवन (DOON SCHOLARS) हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) प्रदान किये जाने मे अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नही है। वशर्ते शैक्षणिक भवन स्वामी / सोसाइटी / प्रधानाचार्य प्रश्नगत भवन में की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्च स्तर का बनाये रखेंगे साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चत करेगें। उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग–03 की अधिसूचना संख्या–342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादूनः दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व–घोषणा

PRINCIPAL
DOON SCHOLARS
Dehra Dun

प्रमाण पत्र / Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत / अपलोड करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होगा। यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों को रखेगें ताकि किसी आकस्मिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सके। भवन मे फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर–0135–2716242 एंव पुलिस कन्ट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर–100, 112 एवं एम्बूलेन्स का टेलीफोन नं0–108 अंकित करेगें। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(अरि0 एस0 खाली) 09/12/21
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
देहरादून।

CHAIRMAN
DOON SCHOLARS